

स0.47(05)/2022- आर.टी.आई. सेल

जून 9, 2022

श्री देवेंद्र देव शर्मा,
16 C, भैरों मंदिर,
बौलेवर्ड रोड, सिविल लाइंस,
नॉर्थ दिल्ली-110054

विषय:- RTI application Under RTI Act, 2005 – Reg.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपनी आर०टी० आई एंपलीकेशन दिनांक 11-05-2022 का अवलोकन करें जो कि इस कार्यालय में दिनांक 12.05.2022 को प्राप्त हुई है। संबन्धित अधिकारी द्वारा आपकी आर०टी० आई एंपलीकेशन के संबंध में माँगी गई जानकारी निम्नानुसार है:

Sl. No.	Information sought	Information provided
1.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कांफ़रिशन दिल्ली के अंदर हैरिटेज बिल्डिंग/हवेली न0 944, मलिवारा चाँदनी चौक दिल्ली, जो स्वेली न0 944 की फोटोग्राफ्स साथ सलंगन हैं जोकि नोटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं और उपरोक्त हवेली शाहजहानाबाद इनवेंटरी ऑफ बिल्ट हैरिटेज -1 में Grade III/Notification pending हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हैरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बना लेते हैं तो वह बिल्डिंग authorized होगी या unauthorized होगी लिखित में जानकारी दी जाए।	
2.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कांफ़रिशन दिल्ली के अंदर हैरिटेज बिल्डिंग/हवेली न0 944, मलिवारा चाँदनी चौक दिल्ली जो स्वेली न0 944 की फोटोग्राफ्स साथ सलंगन हैं जोकि नोटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं और उपरोक्त हवेली शाहजहानाबाद इनवेंटरी ऑफ बिल्ट हैरिटेज -1 में Grade III /Notification pending हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हैरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान ऑनलाइन सेगसन कराकर नयी बिल्डिंग बना लेते हैं तो वह बिल्डिंग authorized होगी या unauthorized होगी लिखित में जानकारी दी जाए।	
3.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कांफ़रिशन दिल्ली के अंदर हैरिटेज बिल्डिंग/हवेली न0 944, मलिवारा चाँदनी चौक दिल्ली, जो हवेली न0 944 की फोटोग्राफ्स साथ सलंगन हैं जोकि नोटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं और उपरोक्त हवेली शाहजहानाबाद इनवेंटरी ऑफ बिल्ट हैरिटेज -1 में Grade III/Notification pending हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हैरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान ऑनलाइन सेगसन कराकर नयी बिल्डिंग बनाता है तो क्या उत्तरी दिल्ली नगर निगम से किया गया सेगसन बिल्डिंग प्लान लीगल हैं या अनलीगल है लिखित में जानकारी दी जाए।	Unified Building Bye-laws (UBBL) के Clause No.1.3 (कॉपी सलंगन) के अनुसार प्रत्येक हैरिटेज बिल्डिंग जो की हैरिटेज सूची में है उसको लोकल बाँडी तथा HCC से अनुमोदित करवाना अनिवार्य है।
4.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कांफ़रिशन दिल्ली के अंदर हैरिटेज बिल्डिंग/हवेली न0 944, मलिवारा चाँदनी चौक दिल्ली, जो हवेली न0 944 की फोटोग्राफ्स साथ सलंगन हैं जोकि नोटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं और उपरोक्त हवेली शाहजहानाबाद इनवेंटरी ऑफ बिल्ट हैरिटेज -1 में Grade III/Notification pending हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हैरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बनाने के लिए क्या उत्तरी दिल्ली नगर निगम बिल्डिंग प्लान सेगसन कर सकता है या नहीं लिखित में जानकारी दी जाए।	
5.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कांफ़रिशन दिल्ली के अंदर हैरिटेज बिल्डिंग/हवेली न0 944, मलिवारा चाँदनी चौक दिल्ली, जो हवेली न0 944 की फोटोग्राफ्स साथ सलंगन हैं जोकि नोटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं और उपरोक्त हवेली शाहजहानाबाद इनवेंटरी ऑफ बिल्ट हैरिटेज -1 में Grade III/Notification pending हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हैरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बनाने के लिए क्या उत्तरी दिल्ली नगर निगम बिल्डिंग प्लान सेगसन कर सकता है या नहीं लिखित में जानकारी दी जाए।	

6.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के अंदर हैरिटेज बिल्डिंग/हवेली न0 944, मलिवारा चाँदनी चौक दिल्ली, जो हवेली न0 944 की फोटोग्राफ्स साथ सलंगन हैं जोकि नोटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं और उपरोक्त हवेली शाहजहानाबाद इनवेंटरी ऑफ बिल्ट हैरिटेज -1 में Grade III/Notification pending हैं और बिल्डिंग का विवरण जैसे Plan Form, Height, Transformation Conditions-Plan, Elevation, Walls, Plinth Decoration-Doors, Windows, Columns, Entablature, Brackets, Chajjas, Balcony Railings, हैं इन सब को तोड़कर नयी बिल्डिंग बनाने के लिए HCC से अनुमति लेना जरूरी है या बीना अनुमति लिए भी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बना सकते हैं लिखित में जानकारी दी जाए।	
7.	मुझे लिखित में जानकारी दी जाए कि उपरोक्त हैरिटेज/हवेली प्रोपर्टी न0 944, मलिवारा, चाँदनी चौक, दिल्ली का निर्माण कार्य करने से संबंधित आज टीके HCC ने किसी को भी कोई अनुमति दी है या नहीं दी है अगर किसी को भी उपरोक्त प्रोपर्टी का निर्माण कार्य करने के लिए अनुमति दी है तो अनुमति पत्र कि तसदीक शुदा कॉपी भी दी जाए।	

यदि आप उपर्युक्त निर्णय के संबंध में कोई अपील करना चाहते हैं तो वह श्रीमती रुबी कौशल, सचिव एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, दिल्ली नगर कला आयोग, कोर-6ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को इस पत्र के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर की जा सकती है।

भवदीय,



(अनका धीर)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

सलंगन:- उपरोक्त

1.3 Restrictions on Development /Re-development / Repairs etc.

- (i) No development or redevelopment or engineering operation or additions/ alterations, repairs, renovations including painting of the building, replacement of special features or plastering or demolition of any part thereof of the said listed buildings or listed precincts or listed natural feature areas shall be allowed except with the prior permission of Commissioner, MCD, Vice Chairman DDA/Chairman NDMC. Before granting such permission, the agency concerned shall consult the Heritage Conservation Committee to be appointed by the Government and shall act in accordance with the advice of the Heritage Conservation Committee.
- (ii) Provided that, before granting any permission for demolition or major alterations / additions to listed buildings (or buildings within listed streets or precincts, or construction at any listed natural features, or alternation of boundaries of any listed natural feature areas, objections and suggestions from the public shall be invited and shall be considered by the Heritage Conservation Committee.
- (iii) Provided that, only in exceptional cases, for reasons to be recorded in writing, the Commissioner, MCD/Vice Chairman DDA /Chairman NDMC may refer the matter back to the Heritage Conservation Committee for reconsideration.

However, the decision of the Heritage Conservation Committee after such reconsideration shall be final and binding.

1.4 Penalties: Violation of the regulations shall be punishable under the provisions regarding unauthorized development. In case of proved deliberate neglect of and/ or damage to Heritage Buildings and Heritage precincts, or if the building is allowed to be damaged or destroyed due to neglect or any other reason, in addition to penal action provided under the concerned Act, no permission to construct any new building shall be granted on the site if a Heritage Building or Building in a Heritage Precinct is damaged or pulled down without appropriate permission from Commissioner, MCD/Vice Chairman DDA/Chairman NDMC.

It shall be open to the Heritage Conservation Committee to consider a request for re-building/reconstruction of a Heritage Building that was unauthorized demolished or damaged, provided that the total built-up area in all floors put together in such new construction is not in excess of the total built up area in all floors put together in the original Heritage Building in the same form and style in addition to other controls that may be specified.

1.5 Preparation of List of Heritage Sites including Heritage Buildings, Heritage Precincts and Listed Natural Features Areas: Preparation of List of Heritage Sites including Heritage Buildings, Heritage Precincts and Listed Natural Features Areas is to be prepared and supplemented by the Commissioner MCD/ Vice-Chairman DDA/Chairman NDMC on the advice of the Heritage Conservation Committee. Before being finalized, objections and suggestions of the public are to be invited and considered. The said list to which the regulation applies shall not form part of this regulation for the purpose of Building Bye-laws. The list may be supplemented from time to time by Government on receipt of proposal from the agency concerned or by Government *suo moto* provided that before the list is supplemented, objections and suggestions from the public be invited and duly considered by the Commissioner, MCD/ Vice-Chairman DDA/Chairman NDMC and/or Government and/or Heritage Conservation Committee.

When a building or group of building or natural feature areas are listed it would automatically mean (unless otherwise indicated) that the entire property including its entire compound/plot boundary along with all the subsidiary structures and artifacts, etc. within the compound/plot boundary, etc. shall form part of list.

1.6 Alteration/Modification/Relaxation in Development Norms: On the advice of the said Heritage Conservation Committee to be appointed by the Government and for reasons to be recorded in writing, the Commissioner, MCD/ Vice-Chairman DDA/Chairman NDMC shall follow the procedure as per DDA Act, 1957 to alter, modify or relax the Development Control Norms prescribed